उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ द्वारा आयोजित

UP SI उप निरीक्षक

मूलविधि

परीक्षा रिफ्रेशर

अध्यायवार अध्ययन सामग्री एवं सॉल्व्ड पेपर्स

प्रधान संपादक
आनन्द कुमार महाजन

संपादक/लेखक मण्डल
अभिषेक सिंह, हर्ष वर्धन सिंह (LLM-NET), मनीष सिंह (LLM-NET)

कम्प्यूटर ग्राफिक्स
बालकृष्ण त्रिपाठी एवं विनय साहू

सम्पादकीय कार्यालय
12, चर्च लेन, प्रयागराज-211002
मो. : 9415650134
Email : yctap12@gmail.com
website : www.yctbooks.com/www.yctfastbook.com

© All rights reserved with Publisher

प्रकाशन घोषणा
सम्पादक एवं प्रकाशक आनन्द कुमार महाजन ने रूप प्रिंटिंग प्रेस, प्रयागराज से मुद्रित करवाकर, वाई.सी.टी. पब्लिकेशन्स प्रा. लि., 12, चर्च लेन, प्रयागराज-211002 के लिए प्रकाशित किया।

इस पुस्तक को प्रकाशित करने में सम्पादक एवं प्रकाशक द्वारा पूर्ण सावधानी बरती गई है फिर भी किसी त्रुटि के लिए आपका सुझाव और सहयोग सादर अपेक्षित है।

किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र प्रयागराज होगा।

मूल्य : 325/-

विषय सूची

- भारतीय न्याय संहिता, 2023.....3-9
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023.....10-18
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023.....19-21
- भारतीय दण्ड संहिता, 1860.....22-70
- दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973.....71-109
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872.....110-115
- महिलाओं के संरक्षण संबंधित विधिक प्रावधान.....116-132
- बच्चों के संरक्षण सम्बंधी विधिक प्रावधान.....133-154
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989.....155-163
- मोटर वाहन अधिनियम, 1988 तथा यातायात नियम.....164-190
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986.....191-202
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम-1972.....203-219
- मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम-1993.....220-240
- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005.....241-256
- आयकर अधिनियम, 1961.....257-284
- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1988.....285-296
- राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980.....297-305
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000.....306-328
- साइबर अपराध.....329-336
- जनहित याचिका.....337-347
- भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण एवं भू-राजस्व सम्बन्धी कानून.....348-375
- महत्त्वपूर्ण न्यायिक निर्णय.....376-384

उपनिरीक्षक सीधी भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम : मूलविधि

भारतीय दण्ड विधान एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्राविधान, यातायात नियमों, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू-राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान।

भारतीय न्याय संहिता, 2023

(2023 का अधिनियम संख्या-45) **[25 दिसम्बर 2023]**

भारत गणराज्य के 74वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित

अध्याय 1
प्रारंभिक

धारा 1 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना।
धारा 2 परिभाषाएं।
धारा 3 साधारण स्पष्टीकरण।

अध्याय 2
दण्डों के विषय में

धारा 4 दण्ड।
धारा 5 मृत्यु दण्डादेश या आजीवन कारावास का लघुकरण।
धारा 6 दण्डावधियों की भिन्नें।
धारा 7 दण्डादिष्ट (कारावास के कतिपय मामलों में) सम्पूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा।
धारा 8 जुर्माने की रकम का, जुर्माना आदि के भुगतान में व्यतिक्रम करने पर, दायित्व।
धारा 9 कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दण्ड की अवधि।
धारा 10 कई अपराधों में से एक के दोषों व्यक्ति के लिए दण्ड जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है।
धारा 11 एकांत परिरोध।
धारा 12 एकांत परिरोध की अवधि।
धारा 13 पूर्व दोषसिद्ध के पश्चात् कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दण्ड।

अध्याय 3
साधारण अपवाद

धारा 14 विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य।
धारा 15 न्यायिकतः कार्य करने हेतु न्यायाधीश का कार्य।
धारा 16 न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य।
धारा 17 विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य।
धारा 18 विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना।
धारा 19 कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभाव्य है, किन्तु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है।
धारा 20 सात वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य।
धारा 21 सात वर्ष से ऊपर किन्तु बारह वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य।
धारा 22 मानसिक रुग्णता वाले व्यक्ति का कार्य।
धारा 23 ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है।
धारा 24 किसी व्यक्ति द्वारा, जो मत्तता में है, किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है।
धारा 25 सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय न हो और न उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो।
धारा 26 किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य, जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है।
धारा 27 संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य।
धारा 28 सम्मति, जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है।
धारा 29 ऐसे कार्य का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है।
धारा 30 सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य।
धारा 31 सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना।
धारा 32 वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है।
धारा 33 तुच्छ अनहानि कारित करने वाला कार्य।

प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के लिए

धारा 34 प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें।
धारा 35 शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार।
धारा 36 ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो मानसिक रूप से रुग्ण हो।
धारा 37 कार्य, जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है।
धारा 38 शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है।
धारा 39 कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है।
धारा 40 शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना।
धारा 41 कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है।
धारा 42 ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का कब होता है।
धारा 43 सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना।
धारा 44 घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम है।

अध्याय 4
दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयत्न के विषय में

धारा 45 किसी बात का दुष्प्रेरण।

धारा 46 दुष्प्रेरक।

धारा 47 भारत से बाहर के आपराधों का भारत में दुष्प्रेरण।

धारा 48 भारत में अपराधों का भारत से बाहर दुष्प्रेरण।

धारा 49 दुष्प्रेरण का दण्ड, यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणामस्वरूप किय जाए और जहां कि उसके दण्ड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है।

धारा 50 दुष्प्रेरण का दण्ड, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है।

धारा 51 दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है।

धारा 52 दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलित दण्ड से दण्डनीय है।

धारा 53 दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशयित से भिन्न हो।

धारा 54 अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति।

धारा 55 मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण।

धारा 56 कारावास से दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण।

धारा 57 लोक साधारण द्वारा या दस से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण।

धारा 58 मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना।

धारा 59 किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना, जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है।

धारा 60 कारावास से दण्डनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना।

आपराधिक षड्यंत्र के विषय में

धारा 61 आपराधिक षड्यंत्र प्रयत्न के विषय में।

धारा 62 आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दण्डनीय अपराधों को करने के प्रयत्न करने के लिए दण्ड।

अध्याय 5
स्त्री और बालकों के विरुद्ध अपराधों के विषय में यौन अपराधों के विषय में

धारा 63 बलात्संग।

धारा 64 बलात्संग के लिए दंड।

धारा 65 कतिपय मामलों में बलात्संग के लिए दंड।

धारा 66 पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कारित करने के लिए दंड।

धारा 67 पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन।

धारा 68 प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन।

धारा 69 प्रवंचनापूर्ण साधनों आदि से नियोजक द्वारा मैथुन।

धारा 70 सामूहिक बलात्संग।

धारा 71 पुनरावृत्तिकर्ता अपराधियों के लिए दंड।

धारा 72 कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण।

धारा 73 न्यायालय की कार्यवाही से सम्बन्धित किसी भी मामले को बिना अनुमति के छापना या प्रकाशित करना।

स्त्री के विरुद्ध आपराधिक बल और हमले के विषय में

धारा 74 स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।

धारा 75 लैंगिक उत्पीड़न।

धारा 76 विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।

धारा 77 दृश्यरतिकता।

धारा 78 पीछा करना।

धारा 79 शब्द, अंगविक्षेप या कार्य, जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादान करने के लिए आशयित है।

विवाह से संबंधित अपराधों के विषय में

धारा 80 दहेज मृत्यु।

धारा 81 विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास।

धारा 82 पति या पत्नी के जीवनकान में पुनःविवाह करना।

धारा 83 विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्वक विवाह कर्म पूरा कर लेना।

धारा 84 विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना, या ले जाना या निरुद्ध रखना।

धारा 85 किसी स्त्री के पति या पती के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना।

धारा 86 क्रूरता की परिभाषा।

धारा 87 विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यपहृत करना, अपहृत करना या उत्प्रेरित करना।

गर्भपात, आदि कारित करने के विषय में

धारा 88 गर्भपात कारित करना।

धारा 89 स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना।

धारा 90 गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा कारित मृत्यु।

धारा 91 शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात् उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य।

धारा 92 ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानव वध की कोटि में आता है, किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना।

बालकों के विरुद्ध अपराधों के विषय में

धारा 93 शिशु के पिता या माता या उसकी देखरेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा बारह वर्ष से कम आयु के शिशु का अरक्षित डाल दिया जाना और परित्याग।

धारा 94 मृत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म छिपाना।

धारा 95 अपराध को कारित करने के लिए बालक को भाड़े पर लेना, नियोजित करना या नियुक्त करना।

धारा 96 शिशु का उपापन।

धारा 97 दस वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका व्यपहरण या अपहरण।

धारा 98 वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए शिशु को बेचना।

धारा 99 वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए शिशु का खरीदना।

अध्याय 6
मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषयों में जीवन के लिए

धारा 100 आपराधिक मानव वध।
धारा 101 हत्या।
धारा 102 जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानव वध।
धारा 103 हत्या के लिए दण्ड।
धारा 104 आजीवन सिद्धदोश द्वारा हत्या के लिए दण्ड।
धारा 105 हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दण्ड।
धारा 106 उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना।
धारा 107 शिशु या मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्ति का आत्महत्या का दुष्प्रेरण।
धारा 108 आत्महत्या का दुष्प्रेरण।
धारा 109 हत्या करने का प्रयत्न।
धारा 110 आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न।
धारा 111 संगठित अपराध।
धारा 112 छोटे संगठित अपराध।
धारा 113 आतंकवादी कृत्य।

उपहति के विषय में

धारा 114 उपहति।
धारा 115 स्वेच्छया उपहति कारित करना।
धारा 116 घोर उपहति।
धारा 117 स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना।
धारा 118 खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करना।
धारा 119 संपत्ति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करना।
धारा 120 संस्वीकृति उद्दापित करने या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छया उपति या घोर उपहति कारित करना।
धारा 121 लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करना।
धारा 122 प्रकोपन पर स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करना।
धारा 123 अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपहति कारित करना।
धारा 124 अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना।
धारा 125 कार्य जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो।

सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के विषय में

धारा 126 सदोष अवरोध।
धारा 127 सदोष परिरोध।

आपराधिक बल और हमले के विषय में

धारा 128 बल।
धारा 129 आपराधिक बल।
धारा 130 हमला।
धारा 131 गम्भीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दण्ड।
धारा 132 लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।
धारा 133 गम्भीर प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।
धारा 134 किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली संपत्ति की चोरी के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।
धारा 135 किसी व्यक्ति का सदोश परिरोध करने के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।
धारा 136 गम्भीर प्रकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।

व्यपहरण, अपहरण, दासत्व और बलात्श्रम के विषय में

धारा 137 व्यपहरण।
धारा 138 अपहरण।
धारा 139 भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए बालक का व्यपहरण या विकलांगीकरण।
धारा 140 हत्या करने के लिए या फिरौती के लिए व्यपहरण या अपहरण।
धारा 141 विदेश से लड़की या लड़के का आयात करना।
धारा 142 व्यक्ति को घोर उपहति, दासत्व आदि का विषय बनाने के उद्देश्य से व्यपहरण या अपहरण।
धारा 143 व्यक्ति का दुर्व्यापार।
धारा 144 ऐसे व्यक्ति का, जिसका दुर्व्यापार किया गया है, शोषण।
धारा 145 दासों का आभ्यासिक व्यौहार करना।
धारा 146 विधिविरुद्ध अनिवार्य श्रम।

अध्याय 7
राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में

धारा 147 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना।
धारा 148 धारा 147 द्वारा दंडनीय अपराधों को करने का षड्यंत्र।
धारा 149 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना।
धारा 150 युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय से छिपाना।
धारा 151 किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना।
धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला कार्य।
धारा 153 भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाले किसी विदेशी राज्य के विरुद्ध युद्ध करना।
धारा 154 भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाली शक्ति के राज्यक्षेत्र में लूटपाट करना।
धारा 155 धारा 153 और 154 में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई सम्पत्ति प्राप्त करना।
धारा 156 लोक सवेक का स्वेच्छया राजकैदी या युद्धकैदी को निकल भागने देना।
धारा 157 उपेक्षा से लोक सेवक का ऐसे कैदी का निकल भागना सहन करना।

धारा 158 ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या संश्रय देना।

अध्याय 8
सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में

धारा 159 विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना।

धारा 160 विद्रोह का दुष्प्रेरण यदि उसके परिणामस्वरूप विद्रोह किया जाए।

धारा 161 सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ आफिसर पर जब कि वह आफिसर अपने पद-निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण।

धारा 162 ऐसे हमले का दुष्प्रेरण यदि हमला किया जाए।

धारा 163 सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अभित्यजन का दुष्प्रेरण।

धारा 164 अभित्याजक को संश्रय देना।

धारा 165 मास्टर की उपेक्षा से किसी वाणिज्यिक जलयान पर छिपा हुआ अभित्याजक।

धारा 166 सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अनधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण।

धारा 167 कुछ अधिनियमों के अध्यधीन व्यक्ति।

धारा 168 सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या टोकन धारण करना।

अध्याय 9
निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में

धारा 169 ''अभ्यर्थी'', ''निर्वाचन अधिकार'' परिभाषित।

धारा 170 रिश्वत।

धारा 171 निर्वाचनों में असम्यक्त असर डालना।

धारा 172 निर्वाचनों में प्रतिरुपण।

धारा 173 रिश्वत के लिए दण्ड।

धारा 174 निर्वाचनों में असम्यक् असर डालने या प्रतिरुपण के लिए दण्ड।

धारा 175 निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन।

धारा 176 निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय।

धारा 177 निर्वाचन लेखा रखने में असफलता।

अध्याय 10
सिक्कों, करेंसी नोट, बैंक नोट और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में

धारा 178 सिक्कों, करेंसी नोट, बैंक नोट या सरकारी स्टाम्पों कूटकरण।

धारा 179 कूटरचित या कूटकृत सिक्के, करेंसी नोट, बैंक नोट या सरकारी स्टाम्प को असली के रूप में उपयोग करना।

धारा 180 कूटरचित या कूटकृत सिक्के, करेंसी नोट, बैंक नोट या सरकारी स्टाम्प को कब्जे में रखना।

धारा 181 लिखत या कूटरचना के लिए सामग्री या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट बनाना या कब्जे में रखना।

धारा 182 करेंसी नोट या बैंक नोट के सदृश दस्तावेज बनाना या उपयोग करना।

धारा 183 इस आशय से कि सरकार को हानि कारित हो, उस पदार्थ पर से, जिस पर सरकारी स्टाम्प लगा हुआ है, लेख मिटाना या दस्तावेज से वह स्टाम्प हटाना जो उसके लिए उपयोग में लाया गया है।

धारा 184 ऐसे सरकारी स्टाम्प का उपयोग जिसके बारे में ज्ञात है कि उसका पहले उपयोग हो चुका है।

धारा 185 स्टाम्प के उपयोग किए जा चुकने के द्योतक चिह्न का छीलकर मिटाना।

धारा 186 बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेध।

धारा 187 टकसाल मे नियोजित व्यक्ति द्वारा सिक्के का उस वजन या मिश्रण से भिन्न कारित किया जाना जो विधि द्वारा नियत है।

धारा 188 टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण विधिविरुद्ध रूप से लेना।

अध्याय 11
लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में

धारा 189 विधिविरुद्ध जमाव।

धारा 190 विधिविरुद्ध जमाव का हर सदस्य, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी।

धारा 191 बल्वा करना।

धारा 192 बल्वा कराने के आशय से स्वैरिता से प्रकोपन देना-यदि बल्वा किया जाए–यदि बल्वा न किया जाए।

धारा 193 उस भूमि के स्वमी, अधिभोगी, आदि जिस पर विधिविरुद्ध जमाव या बल्वा किया गया है, का दायित्व।

धारा 194 दंगा।

धारा 195 लोक सेवक जब बल्वे इत्यादि को दबा रहा हो, तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करना।

धारा 196 धर्म, मूलवंश, जन्म-स्थान, निवास-स्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना।

धारा 197 राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, प्राख्यान।

अध्याय 12
लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में

धारा 198 लोक सेवक, जो किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है।

धारा 199 लोक सेवक, जो विधि के अधीन निदेश की अवज्ञा करता है।

धारा 200 पीड़ित का उपचार न करने के लिए दंड।

धारा 201 लोक सेवक, जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है।

धारा 202 लोक सेवक, जो विधिविरुद्ध रूप से व्यापार में लगता है।

धारा 203 लोक सेवक, जो विधिविरुद्ध रूप से संपत्ति क्रय करता है या उसके लिए बोली लगाता है।

धारा 204 लोक सेवक का प्रतिरूपण।

धारा 205 कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन को धारण करना।

अध्याय 13

लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में

धारा 206 समनों की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना।

धारा 207 समन की तामील का या अन्य कार्यवाही का या उसके प्रकाशन का निवारण करना।

धारा 208 लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर-हाजिर रहना।

धारा 209 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 84 के अधीन किसी उद्घोषणा के उत्तर में गैर-हाजिरी।

धारा 210 दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक सेवक को दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक पेश करने का लोप।

धारा 211 सूचना या इत्तिला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या इत्तिला देने का लोप।

धारा 212 मिथ्या इत्तिला देना।

धारा 213 शपथ या प्रतिज्ञान से इंकार करना, जबकि लोक सेवक द्वारा वह वैसा करने के लिए सम्यक् रूप से अपेक्षित किया जाए।

धारा 214 प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक का उत्तर देने से इंकार करना।

धारा 215 कथन पर हस्ताक्षर करने से इंकार।

धारा 216 शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक के, या व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान पर मिथ्या कथन।

धारा 217 इस आशय से मिथ्या इत्तिला देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिए करे।

धारा 218 लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध।

धारा 219 लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति के विक्रय में बाधा उपस्थित करना।

धारा 220 लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति का अवैध क्रय या उसके लिए अवैध बोली लगाना।

धारा 221 लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना।

धारा 222 लोक सेवक की सहायता करने का लोप, जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो।

धारा 223 लोक सेवक द्वारा सम्यक् रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा।

धारा 224 लोक सेवक को क्षति करने की धमकी।

धारा 225 लोक सेवक से संरक्षा के लिए आवेदन करने से विरत रहने के लिए किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए क्षति की धमकी।

धारा 226 विधिविरुद्ध शक्ति का प्रयोग करने या प्रयोग करने से विरत रहने के लिए आत्महत्या करने का प्रयास।

अध्याय 14

मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में

धारा 227 मिथ्या साक्ष्य देना।

धारा 228 मिथ्या साक्ष्य गढ़ना।

धारा 229 मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड।

धारा 230 मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना।

धारा 231 आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना।

धारा 232 किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना या उत्प्रेरित करना।

धारा 233 उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है।

धारा 234 मिथ्या प्रमाणपत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना।

धारा 235 प्रमाणपत्र को जिसको मिथ्या होना ज्ञात है, सच्चे के रूप में काम में लाना।

धारा 236 ऐसे घोषणा में, जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके, किया गया मिथ्या कथन।

धारा 237 ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए सच्ची के रूप में काम में लाना।

धारा 238 अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधों को प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इत्तिला देना।

धारा 239 इत्तिला देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की इत्तिला देने का साश्य लोप।

धारा 240 किए गए अपराध के विषय में मिथ्या इत्तिला देना।

धारा 241 साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना।

धारा 242 वाद या अभियोजन में किसी कार्य का कार्यवाही के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरूपण।

धारा 243 संपत्ति को समहपहरण किए जाने में या निष्पादन में अभिगृहीत किए जाने से निवारित करने के लिए उसे कपटपूर्वक हटाना या छिपाना।

धारा 244 संपत्ति पर उसके समपहरण किए जाने में या निष्पादन में अभिगृहीत किए जाने से निवारित करने के लिए कपटपूर्वक दावा।

धारा 245 ऐसी राशि के लिए जो शोध्य न हो कपटपूर्वक डिक्री होने देना सहन करना।

धारा 246 बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना।

धारा 247 ऐसी राशि के लिए जो शोध्य नहीं है कपटपूर्वक डिक्री अभिप्राप्त करना।

धारा 248 क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप।

धारा 249 अपराधी को संश्रय देना।

धारा 250 अपराधों को दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए उपहार आदि लेना।

धारा 251 अपराधी के प्रतिच्छादन के प्रतिफलस्वरूप उपहार की प्रस्थापना या संपत्ति का प्रत्यावर्तन।

धारा 252 चोरी की संपत्ति इत्यादि के वापस लेने में सहायता करने के लिए उपहार लेना।

धारा 253 ऐसे अपराधों को संश्रय देना, जो अभिरक्षा से निकल भागा है या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है।

धारा 254 लुटेरों या डाकुओं को संश्रय देने के लिए शास्ति।

धारा 255 लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति के समपहरण से बचाने के आशय से विधि के निदेश की अवज्ञा।

धारा 256 किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति को समपहरण से बचाने के आशय से लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की रचना।

धारा 257 न्यायिक कार्यवाही में विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट आदि का लोक सेवक द्वारा भ्रष्टतापूर्वक किया जाना।

धारा 258 प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा जो यह जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, विचारण के लिए या परिरोध करने के लिए सुपुर्दगी।

धारा 259 पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साशय लोप।

धारा 260 दंडादेश के अधीन या विधिपूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साशय लोप।

धारा 261 लोक सेवक द्वारा उपेक्षा से परिरोध या अभिरक्षा में से निकल भागना सहन करना।

धारा 262 किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़ने जाने में प्रतिरोध या बाधा।

धारा 263 किसी अन्य व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा।

धारा 264 उन दशाओं में, जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं है, लोक सेवक द्वारा पकड़ने का लोप या निकल भागना सहन करना।

धारा 265 अन्यथा अनुपबंधित दशाओं में विधिपूर्वक पकड़ने में प्रतिरोध या बाधा या निकल भागना या छुड़ाना।

धारा 266 दंड के परिहार की शर्त का अतिक्रमण।

धारा 267 न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक सेवक का साशय अपमान या उसके कार्य में विघ्न।

धारा 268 असेसर का प्रतिरूपण।

धारा 269 जमानत या बंधपत्र पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा न्यायालय में हाजिर होने में असफलता।

अध्याय 15
लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में

धारा 270 लोक न्यूसेन्स।

धारा 271 उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रम फैलना संभाव्य हो।

धारा 272 परिद्वेशपूर्ण कार्या, जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रम फैलना संभाव्य हो।

धारा 273 करन्तीन के नियम की अवज्ञा।

धारा 274 विक्रय के लिए आशयित खाद्य या पेय का अपमिश्रण।

धारा 275 अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय।

धारा 276 औषधियों का अपमिश्रण।

धारा 277 अपमिश्रित औषधियों का विक्रय।

धारा 278 औषधि का भिन्न औषधि या निर्मिति के तौर पर विक्रय।

धारा 279 लोक जल-स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना।

धारा 280 वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना।

धारा 281 लोक मार्ग पर उतवलेपन से वाहन चलाना या हांकना।

धारा 282 जलयान का उतावलेपन से चलाना।

धारा 283 भ्रामक प्रकाश, चिह्न या बोये का प्रदर्शन।

धारा 284 अक्षमकर या अति लदे हुए जलयान में भाड़े के लिए जलमार्ग से किसी व्यक्ति का प्रवहण।

धारा 285 लोक मार्ग या नौपरिवहन पथ में संकट या बाधा।

धारा 286 विषैले पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण।

धारा 287 अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध से उपेक्षापूर्ण आचरण।

धारा 288 विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण।

धारा 289 मशीनरी के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण।

धारा 290 किसी निर्माण को गिराने या उसकी मरम्मत करने के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण।

धारा 291 जीवजन्तु के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण।

धारा 292 अन्यथा अनुपबन्धित मामलों में लोक न्यूसेन्स के लिए दण्ड।

धारा 293 रोकने के व्यादेश के बाद भी न्यूसेन्स का जारी रहना।

धारा 294 अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय आदि।

धारा 295 बालक को अश्लील वस्तुओं का विक्रय, आदि।

धारा 296 अश्लील कार्य और गाने।

धारा 297 लाटरी कार्यालय रखना।

अध्याय 16
धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में

धारा 298 किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना।

धारा 299 विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहात करने के आशय से किए गए हो।

धारा 300 धार्मिक जमाव में विघ्न करना।

धारा 301 कब्रिस्तानों आदि में अतिचार करना।

धारा 302 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से, शब्द उच्चारित करना आदि।

अध्याय 17
सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में
चोरी के विषय में

धारा 303 चोरी।

धारा 304 झपटमारी।

धारा 305 निवास-गृह, यातायात के साधन या पूजा स्थल आदि में चोरी।

धारा 306 लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे में संपत्ति की चोरी।

धारा 307 चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात् चोर।

उद्दापन के विषय में

धारा 308 उद्दापन।

लूट और डकैती के विषय में

धारा 309 लूट।

धारा 310 डकैती।

धारा 311 मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती।

धारा 312 धातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न।

धारा 313 चोरी की टोली का होने के लिए दण्ड।

सम्पत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के विषय में

धारा 314 सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग।

धारा 315 ऐसी सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग, जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी।

आपराधिक न्यासभंग के विषय में

धारा 316 आपराधिक न्यासभंग।

चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने के विषय में

धारा 317 चुराई हुई संपत्ति।

छल के विषय में

धारा 318 छल।

धारा 319 प्रतिरूपण द्वारा छल।

कपटपूर्ण विलेखों और संपत्ति व्ययनों के विषय में

धारा 320 लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाना।

धारा 321 ऋण को लेनदारों के लिए उपलब्ध होने से बेईमानी से या कपटपूर्वक निवारित करना।

धारा 322 अन्तरण के ऐसे विलेख का जिसमें प्रतिफल के संबंध में मिथ्या कथन अन्तर्विष्ट है, बेईमानी से या कपटपूर्वक निष्पादन।

धारा 323 सम्पत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाया जाना।

रिष्टि के विषय में

धारा 324 रिष्टि।

धारा 325 जीवजन्तु को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि।

धारा 326 क्षति, जलप्लावन, अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि।

धारा 327 रेल, वायुयान, तल्लायुक्त या बीस टन बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या सापद बनाने के आशय से रिष्टि।

धारा 328 चोरी, आदि करने के आशय से जलयान को साशय भूमि या किनारे पर चढ़ा देने के लिए दंड।

आपराधिक अतिचार के विषय में

धारा 329 आपराधिक अतिचार और गृह अतिचार।

धारा 330 गृह अतिचार और गृह-भेदन।

धारा 331 गृह अतिचार या गृह भेदन के लिए दंड।

धारा 332 अपराध को करने के लिए गृह अतिचार।

धारा 333 उपहति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् गृह अतिचार।

धारा 334 ऐसे पात्र को, जिसमें संपत्ति है, बेईमानी से तोड़कर खोलना।

अध्याय 18
दस्तावेजों और संपत्ति चिह्नों संबंधी अपराधों के विषय में

धारा 335 मिथ्या दस्तावेज रचना।

धारा 336 कूटरचना।

धारा 337 न्यायालय के अभिलेख की या लोक रजिस्टर आदि की कूटरचना।

धारा 338 मूल्यवान प्रतिभूति, विल, इत्यादि की कूटरचना।

धारा 339 धारा 337 या 338 में वर्णित दस्तावेज को, उसे कूटरचित जानते हुए और उसे असली के रूप में उपयोग में लाने का आशय रखते हुए, कब्जे में रखना।

धारा 340 कूटरचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और इसे असली के रूप में उपयोग में लाना।

धारा 341 धारा 338 के अधीन दण्डनीय कूटरचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा, आदि का बनाना या कब्जे में रखना।

धारा 342 धारा 338 में वर्णित दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षण या चिह्न की कूटकृति बनाना या कूटकृत चिह्नयुक्त पदार्थ को कब्जे में रखना।

धारा 343 विल, दत्तकग्रहण प्राधिकार-पत्र या मूल्यवान प्रतिभूति को कपटपूर्वक रद्द, नष्ट, आदि करना।

धारा 344 लेखा का मिथ्याकरण।

संपत्ति चिह्नों के विषय में

धारा 345 सम्पत्ति-चिह्न।

धारा 346 क्षति कारित करने के आशय से सम्पत्ति-चिह्न को बिगाड़ना।

धारा 347 सम्पत्ति-चिह्न का कूटकरण।

धारा 348 सम्पत्ति-चिह्न के कूटकरण के लिए कोई उपकरण बनाना या उस पर कब्जा।

धारा 349 कूटकृत सम्पत्ति-चिह्न से चिह्नित माल का विक्रय।

धारा 350 किसी ऐसे पात्र के ऊपर मिथ्या चिह्न बनाना जिसमें माल रखा है।

अध्याय 19
आपराधिक अभित्रास, अपमान और क्षोभ के विषय में

धारा 351 आपराधिक अभित्रास।

धारा 352 लोकशांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान।

धारा 353 लोक रिष्टिकारक वक्तव्य।

धारा 354 व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके कि वह दैवी अप्रसाद का भाजन होगा, कराया गया कार्य।

धारा 355 मत व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में अवचार।

मानहानि के विषय में

धारा 356 मानहानि।

असहाय व्यक्ति की परिचर्या करने की और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की संविदा का भंग के विषय में

धारा 357 असहाय व्यक्ति की परिचर्या करने की और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की संविदा का भंग के विषय में।

अध्याय 20 निरसन और व्यावृत्ति

धारा 358 निरसन और व्यावृत्ति।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

(2023 का अधिनियम संख्या-46) **[25 दिसम्बर 2023]**

भारत गणराज्य के 74वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित

अध्याय 1
प्रारंभिक

धारा 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।
धारा 2 परिभाषाएं।
धारा 3 निर्देशों का अर्थ लगाना।
धारा 4 भारतीय न्याय संहिता, 2023 और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचार।
धारा 5 व्यावृत्ति।

अध्याय 2
दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन

धारा 6 दंड न्यायालयों के वर्ग।
धारा 7 प्रादेशिक खंड।
धारा 8 सेशन न्यायालय।
धारा 9 न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय।
धारा 10 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आदि।
धारा 11 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट।
धारा 12 न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता।
धारा 13 न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना।
धारा 14 कार्यपालक मजिस्ट्रेट।
धारा 15 विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट।
धारा 16 कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता।
धारा 17 कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना।
धारा 18 लोक अभियोजक।
धारा 19 सहायक लोक अभियोजक।
धारा 20 अभियोजन निदेशालय।

अध्याय 3
न्यायालयों की शक्ति

धारा 21 न्यायालय, जिनके द्वारा अपराध विचारणीय हैं।
धारा 22 दंडादेश, जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे।
धारा 23 दंडादेश, जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे।
धारा 24 जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश।
धारा 25 एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोषसिद्ध होने के मामलों में दंडादेश।
धारा 26 शक्तियां प्रदान करने का ढंग।
धारा 27 नियुक्त अधिकारियों की शक्तियां।
धारा 28 शक्तियों को वापस लेना।
धारा 29 न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद-उत्तरवर्तियों द्वारा प्रयोग किया जा सकना।

अध्याय 4
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां और मजिस्ट्रेट तथा पुलिस को सहायता

धारा 30 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां।
धारा 31 जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी।
धारा 32 पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा है।
धारा 33 कुछ अपराधों की इत्तिला का जनता द्वारा दिया जाना।
धारा 34 ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारियों का कतिपय रिपोर्ट करने का कर्तव्य।

अध्याय 5
व्यक्तियों की गिरफ्तारी

धारा 35 पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी।
धारा 36 गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य।
धारा 37 पदाभिहित पुलिस अधिकारी।
धारा 38 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति पर पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार।
धारा 39 नाम और निवास बताने से इंकार करने पर गिरफ्तारी।
धारा 40 प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया।
धारा 41 मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी।
धारा 42 सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण।
धारा 43 गिरफ्तारी कैसे की जाएगी।
धारा 44 उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है।
धारा 45 अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना।
धारा 46 अनावश्यक अवरोध न करना।
धारा 47 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की इत्तिला दी जाना।
धारा 48 गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति की, गिरफ्तारी आदि के बारे में, नातेदार या मित्र को जानकारी देने की बाध्यता।
धारा 49 गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी।
धारा 50 आक्रामक आयुधों का अभिग्रहण करने की शक्ति।
धारा 51 पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा-व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा।
धारा 52 बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा-व्यावसायी द्वारा परीक्षा।
धारा 53 गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा।
धारा 54 गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त।
धारा 55 जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करता है तब प्रक्रिया।
धारा 56 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा।

धारा 57 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाना।
धारा 58 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का चौबीस घंटे से अधिक निरुद्ध न किया जाना।
धारा 59 पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना।
धारा 60 पकड़े गए व्यक्ति का उन्मोचन।
धारा 61 निकल भागने पर पीछा करने और फिर पकड़ लेने की शक्ति।
धारा 62 गिरफ्तारी का कठोरता पूर्वक संहिता के अनुसार ही किया जाना।

अध्याय 6
हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं

क–समन

धारा 63 समन का प्ररूप।
धारा 64 समन की तामील कैसे की जाए।
धारा 65 निगमित निकायों और सोसाइटियों पर समन की तामील।
धारा 66 जब समन किए गए व्यक्ति न मिल सके तब तामील।
धारा 67 जब पूर्व उपबंधित प्रकार से तामील न की जा सके तब प्रक्रिया।
धारा 68 सरकारी सेवक पर तामील।
धारा 69 स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील।
धारा 70 ऐसे मामलों में और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित न हो तब तामील का सबूत।
धारा 71 साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील।

ख-गिरफ्तारी का वारंट

धारा 72 गिरफ्तारी के वारंट का प्ररूप और अवधि।
धारा 73 प्रतिभूति लिए जाने का निदेश देने की शक्ति।
धारा 74 वारंट किसको निदिष्ट होंगे।
धारा 75 वारंट किसी भी व्यक्ति को निदिष्ट हो सकेंगे।
धारा 76 पुलिस अधिकारी को निदिष्ट वारंट।
धारा 77 वारंट के सार की सूचना।
धारा 78 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलम्ब लाया जाना।
धारा 79 वारंट कहां निष्पादित किया जा सकता है।
धारा 80 अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट।
धारा 81 अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निदिष्ट वारंट।
धारा 82 जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है, उसके गिरफ्तार होने पर प्रक्रिया।
धारा 83 उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति लाया जाए।

ग–उद्घोषणा और कुर्की

धारा 84 फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा।
धारा 85 फरार व्यक्ति की संपति की कुर्की।
धारा 86 उद्घोषित व्यक्ति के संपत्ति की पहचान और कुर्की।
धारा 87 कुर्की के बारे में दावे और आपतियां।
धारा 88 कुर्क की हुई संपत्ति को निर्मुक्त करना, विक्रय और वापस करना।
धारा 89 कुर्क संपत्ति की वापसी के लिए आवेदन नामंजूर करने वाले आदेश से अपील।

घ–आदेशिकाओं संबंधी अन्य नियम

धारा 90 समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट का जारी किया जाना।
धारा 91 हाजिरी के लिए बंधपत्र लेने की शक्ति।
धारा 92 हाजिरी का बंधपत्र भंग करने पर गिरफ्तारी।
धारा 93 इस अध्याय के उपबंधों का साधारणतया समनों और गिरफ्तारी के वारंटों को लागू होना।

अध्याय 7
चीजें पेश करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं

क–पेश करने के लिए समन

धारा 94 दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए समन।
धारा 95 पत्रों और तारों के संबंध में प्रक्रिया।

ख–तलाशी-वारंट

धारा 96 तलाशी-वारंट कब जारी किया जा सकता है।
धारा 97 उस स्थान की तलाशी, जिसमें चुराई हुई संपत्ति, कूटरचित दस्तावेज आदि होने का संदेह है।
धारा 98 कुछ प्रकाशनों के समपहृत होने की घोषणा करने और उनके लिए तलाशी-वारंट जारी करने की शक्ति।
धारा 99 समपहरण की घोषणा को अपास्त करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन।
धारा 100 सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी।
धारा 101 अपहृत स्त्रियों को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति।
धारा 102 तलाशी-वारंटों का निदेशन आदि।
धारा 103 बंद स्थान के भारसाधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे।
धारा 104 अधिकारिता के परे तलाशी में पाई गई चीजों का व्ययन।

ग–प्रकीर्ण

धारा 105 श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से तलाशी और अभिग्रहण का अभिलेख करना।
धारा 106 कुछ संपत्ति को अभिगृहीत करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति।
धारा 107 संपत्ति की कुर्की, अभिग्रहण, जब्ती या वापसी।
धारा 108 मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निदेश दे सकता है।
धारा 109 पेश की गई दस्तावेज आदि, को परिबद्ध करने की शक्ति।
धारा 110 आदेशिकाओं के बारे में व्यतिकारी व्यवस्था।

अध्याय 8
कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यतिकारी व्यवस्था तथा संपत्ति की कुर्की और समपहरण के लिए प्रक्रिया

धारा 111 परिभाषाएं।
धारा 112 भारत के बाहर किसी देश या स्थान में अन्वेषण के लिए सक्षम प्राधिकारी को अनुरोध-पत्र।

धारा 113 भारत के बाहर के किसी देश या स्थान से भारत में अन्वेषण के लिए किसी न्यायालय या प्राधिकारी को अनुरोध-पत्र।
धारा 114 व्यक्तियों का अंतरण सुनिश्चित करने में सहायता।
धारा 115 संपत्ति की कुर्की या समपहरण के आदेशों के संबंध में सहायता।
धारा 116 विधिविरुद्धतया अर्जित संपत्ति की पहचान करना।
धारा 117 सम्पत्ति का अभिग्रहण या कुर्की।
धारा 118 इस अध्याय के अधीन अभिगृहीत या समपहृत संपत्ति का प्रबंध।
धारा 119 संपत्ति के समपहरण की सूचना।
धारा 120 कतिपय मामलों में संपत्ति का समपहरण।
धारा 121 समपहरण के बदले जुर्माना।
धारा 122 कुछ अंतरणों का अकृत और शून्य होना।
धारा 123 अनुरोध-पत्र की बाबत प्रक्रिया।
धारा 124 इस अध्याय का लागू होना।

अध्याय 9

परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति

धारा 125 दोषसिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति।
धारा 126 अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति।
धारा 127 राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति।
धारा 128 संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति।
धारा 129 आभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति।
धारा 130 आदेश का दिया जाना।
धारा 131 न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति के बारे में प्रक्रिया।
धारा 132 ऐसे व्यक्ति के बारे में समन या वारंट जो उपस्थित नहीं है।
धारा 133 समन या वारंट के साथ आदेश की प्रति होगी।
धारा 134 वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति देने की शक्ति।
धारा 135 इत्तिला की सच्चाई के बारे में जांच।
धारा 136 प्रतिभूति देने का आदेश।
धारा 137 उस व्यक्ति का उन्मोचन जिसके विरुद्ध इत्तिला दी गई है।
धारा 138 जिस अवधि के लिए प्रतिभूति अपेक्षित की गई है उसका प्रारंभ।
धारा 139 बंधपत्र की अंतर्वस्तुएं।
धारा 140 प्रतिभुओं को अस्वीकार करने की शक्ति।
धारा 141 प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास।
धारा 142 प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावासित व्यक्तियों को छोड़ने की शक्ति।
धारा 143 बंधपत्र की शेष अवधि के लिए प्रतिभूति।

अध्याय 10

पत्नी, संतान और माता-पिता के भरणपोषण के लिए आदेश

धारा 144 पत्नी, संतान और माता-पिता के भरणपोषण के लिए आदेश।
धारा 145 प्रक्रिया।
धारा 146 भते में परिवर्तन।
धारा 147 भरणपोषण के आदेश का प्रवर्तन।

अध्याय 11

लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना

क–विधिविरुद्ध जमाव

धारा 148 सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर-बितर करना।
धारा 149 जमाव को तितर-बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग।
धारा 150 जमाव को तितर-बितर करने की सशस्त्र बल के कुछ अधिकारियों की शक्ति।
धारा 151 पूर्ववर्ती धाराओं के अधीन किए गए कार्यों के लिए अभियोजन से संरक्षण।

ख–लोक न्यूसेन्स

धारा 152 न्यूसेन्स हटाने के लिए सशर्त आदेश।
धारा 153 आदेश की तामील या अधिसूचना।
धारा 154 जिस व्यक्ति को आदेश संबोधित है वह उसका पालन करे या कारण दर्शित करे।
धारा 155 उसके ऐसा करने में असफल रहने का परिणाम।
धारा 156 जहां लोक अधिकार के अस्तित्व से इंकार किया जाता है वहां प्रक्रिया।
धारा 157 जहां वह कारण दर्शित करने के लिए हाजिर है वहां प्रक्रिया।
धारा 158 स्थानीय अन्वेषण के लिए निदेश देने और विशेषज्ञ की परीक्षा करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति।
धारा 159 मजिस्ट्रेट की लिखित अनुदेश आदि देने की शक्ति।
धारा 160 आदेश अंतिम कर दिए जाने पर प्रक्रिया और उसकी अवज्ञा के परिणाम।
धारा 161 जांच के लंबित रहने तक व्यादेश।
धारा 162 मजिस्ट्रेट लोक न्यूसेन्स की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने का प्रतिषेध कर सकता है।

ग–न्यूसेन्स या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामले

धारा 163 न्यूसेन्स या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामले में आदेश जारी करने की शक्ति।

घ–स्थावर संपत्ति के बारे में विवाद

धारा 164 जहां भूमि या जल से संबद्ध विवादों से परिशांति भंग होना संभाव्य है वहां प्रक्रिया।
धारा 165 विवाद की विषयवस्तु का कुर्क करने की और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति।
धारा 166 भूमि या जल के उपयोग के अधिकार से संबद्ध विवाद।
धारा 167 स्थानीय जांच।

अध्याय 12 पुलिस का निवारक कार्य

धारा 168 पुलिस का संज्ञेय अपराधों का निवारण करना।
धारा 169 संज्ञेय अपराधों के किए जाने की परिकल्पना की इत्तिला।
धारा 170 संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी।
धारा 171 लोक संपत्ति की हानि का निवारण।
धारा 172 व्यक्तियों का पुलिस के युक्तियुक्त निदेशों के अनुरूप बाध्य होना।

अध्याय 13
पुलिस को इत्तिला और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियां

धारा 173 संज्ञेय मामलों में इत्तिला।
धारा 174 असंज्ञेय मामलों के बारे में इत्तिला और ऐसे मामलों का अन्वेषण।
धारा 175 संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति।
धारा 176 अन्वेषण के लिए प्रक्रिया।
धारा 177 रिपोर्ट कैसे दी जाएंगी।
धारा 178 अन्वेषण या प्रारंभिक जांच करने की शक्ति।
धारा 179 साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति।
धारा 180 पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा।
धारा 181 पुलिस से किए गए कथनों का हस्ताक्षरित न किया जानाः कथनों का साक्ष्य में उपयोग।
धारा 182 कोई उत्प्रेरणा न दिया जाना।
धारा 183 संस्वीकृतियों और कथनों को अभिलिखित करना।
धारा 184 बलात्संग के पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा।
धारा 185 पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी।
धारा 186 पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी कब किसी अन्य अधिकारी से तलाशी वारंट जारी करने की अपेक्षा कर सकता है।
धारा 187 जब चौबीस घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा न किया सके तब प्रक्रिया।
धारा 188 अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण की रिपोर्ट।
धारा 189 जब साक्ष्य अपर्याप्त हो तब अभियुक्त का छोड़ा जाना।
धारा 190 जब साक्ष्य पर्याप्त है तब मामलों का मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाना।
धारा 191 परिवादी और साक्षियों से पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न किया जाना और उनका अवरुद्ध न किया जाना।
धारा 192 अन्वेषण में कार्यवाहियों की डायरी।
धारा 193 अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट।
धारा 194 आत्महत्या, आदि पर पुलिस का जांच करना और रिपोर्ट देना।
धारा 195 व्यक्तियों को समन करने की शक्ति।
धारा 196 मृत्यु के कारण का मजिस्ट्रेट द्वारा जांच।

अध्याय 14
जांचों और विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिता

धारा 197 जांच और विचारण का मामूली स्थान।
धारा 198 जांच या विचारण का स्थान।
धारा 199 अपराध वहां विचारणीय होगा जहां कार्य किया गया या जहां परिणाम निकला।
धारा 200 जहां कार्य अन्य अपराध से संबंधित होने के कारण अपराध है वहां विचारण का स्थान।
धारा 201 कुछ अपराधों की दशा में विचारण का स्थान।
धारा 202 इलेक्ट्रॉनिक सूचना के साधनों, पत्रों आदि द्वारा किए गए अपराध।
धारा 203 यात्रा या जलयात्रा में किया गया अपराध।
धारा 204 एक साथ विचारणीय अपराधों के लिए विचारण का स्थान।
धारा 205 विभिन्न सेशन खंडों में मामलों के विचारण का आदेश देने की शक्ति।
धारा 206 संदेह की दशा में उच्च न्यायालय का वह जिला विनिश्चित करना जिसमें जांच या विचारण होगा।
धारा 207 स्थानीय अधिकारिता के परे किए गए अपराध के लिए समन या वारंट जारी करने की शक्ति।
धारा 208 भारत से बाहर किया गया अपराध।
धारा 209 भारत के बाहर किए गए अपराधों के बारे में साक्ष्य लेना।

अध्याय 15
कार्यवाहियां शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें

धारा 210 मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान।
धारा 211 अभियुक्त के आवेदन पर अंतरण।
धारा 212 मामले मजिस्ट्रेटों के हवाले करना।
धारा 213 अपराधों का सेशन न्यायालयों द्वारा संज्ञान।
धारा 214 अपर और सहायक सेशन न्यायाधीशों को हवाले किए गए मामलों पर उनके द्वारा विचारण।
धारा 215 लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के लिए और साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के लिए लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के लिए अभियोजन।
धारा 216 धमकी देने आदि की दशा में साक्षियों के लिए प्रक्रिया।
धारा 217 राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए और ऐसे अपराध करने के लिए अपराधिक षड्यंत्र के लिए अभियोजन।
धारा 218 न्यायाधीशों और लोक सेवकों का अभियोजन।
धारा 219 विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन।
धारा 220 भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 85 के अधीन अपराधों का अभियोजन।
धारा 221 अपराध का संज्ञान।
धारा 222 मानहानि के लिए अभियोजन।

अध्याय 16
मजिस्ट्रेटों से परिवाद

धारा 223 परिवादी की परीक्षा।
धारा 224 ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जो मामले का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है।

धारा 225 आदेशिका के जारी किए जाने को मुल्तवी करना।
धारा 226 परिवाद का खारिज किया जाना।

अध्याय 17
मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यावाही का प्रारंभ किया जाना

धारा 227 आदेशिका का जारी किया जाना।
धारा 228 मजिस्ट्रेट का अभियुक्त को वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकना।
धारा 229 छोटे अपराधों के मामलों में विशेष समन।
धारा 230 अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट या अनय दस्तावेजों की प्रतिलिपि देना।
धारा 231 सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय अन्य मामलों में अभियुक्त को कथनों और दस्तावेजों की प्रतिलिपियां देना।
धारा 232 जब अपराध अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तब मामला उसे सुपुर्द करना।
धारा 233 परिवाद वाले मामले में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और उसी अपराध के बारे में पुलिस अन्वेषण।

अध्याय 18 आरोप

क–आरोपों का प्ररूप

धारा 234 आरोप की अंतर्वस्तु।
धारा 235 समय, स्थान और व्यक्ति के बारे में विशिष्टियां।
धारा 236 कब अपराध किए जाने की रीति कथित की जानी चाहिए।
धारा 237 आरोप के शब्दों का वह अर्थ लिया जाएगा जो उनका उस विधि में है जिसके अधीन वह अपराध दंडनीय है।
धारा 238 गलतियों का प्रभाव।
धारा 239 न्यायालय आरोप परिवर्तित कर सकता है।
धारा 240 जब आरोप परिवर्तित किया जाता है तब साक्षियों का पुनःबुलाया जाना।
धारा 241 सुभिन्न अपराधों के लिए पृथक आरोप।
धारा 242 एक ही वर्ष में किए गए एक ही किस्म के तीन अपराधों का आरोप एक साथ लगाया जा सके।
धारा 243 एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण।
धारा 244 जहां इस बारे में संदेह है कि कौन-सा अपराध किया गया है।
धारा 245 जब वह अपराध, जो साबित हुआ है, आरोपित अपराध के अंतर्गत है।
धारा 246 किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकेगा।
धारा 247 कई आरोपों में से एक के लिए दोषसिद्धि पर शेष आरोपों को वापस लेना।

अध्याय 19
सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण

धारा 248 विचारण का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाना।
धारा 249 अभियोजन के मामले के कथन का आरंभ।
धारा 250 उन्मोचन।
धारा 251 आरोप विरचित करना।
धारा 252 दोषी होने के अभिवचन।
धारा 253 अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख।
धारा 254 अभियोजन के लिए साक्ष्य।
धारा 255 दोषमुक्ति।
धारा 256 प्रतिरक्षा आरंभ करना।
धारा 257 बहस।
धारा 258 दोषमुक्ति या दोषसिद्धि का निर्णय।
धारा 259 पूर्व दोषसिद्धि।
धारा 260 धारा 222(2) के अधीन संस्थित मामलों में प्रक्रिया।

अध्याय 20
मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट-मामलों का विचारण

क–पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले

धारा 261 धारा 230 का अनुपालन।
धारा 262 जब अभियुक्त का उन्मोचन किया जाएगा।
धारा 263 आरोप विरचित करना।
धारा 264 दोषी होने के अभिवाक् पर दोषसिद्धि।
धारा 265 अभियोजन के लिए साक्ष्य।
धारा 266 प्रतिरक्षा का साक्ष्य।

ख–पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामले

धारा 267 अभियोजन का साक्ष्य।
धारा 268 अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा।
धारा 269 प्रक्रिया, जहां अभियुक्त उन्मोचित नहीं किया जाता।
धारा 270 प्रतिरक्षा का साक्ष्य।

ग–विचारण की समाप्ति

धारा 271 दोषमुक्ति या दोषसिद्धि।
धारा 272 परिवादी की अनुपस्थिति।
धारा 273 उचित कारण के बिना अभियोग के लिए प्रतिकर।

अध्याय 21
मजिस्ट्रेट द्वारा समन-मामलों का विचारण

धारा 274 अभियोग का सारांश बताया जाना।
धारा 275 दोषी होने के अभिवाक् पर दोषसिद्धि।
धारा 276 छोटे मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में दोषी होने के अभिवाक् पर दोषसिद्धि।
धारा 277 प्रक्रिया जब दोषसिद्धि, न किया जाए।
धारा 278 दोषमुक्ति या दोषसिद्धि।
धारा 279 परिवादी का हाजिर न होना या उसकी मृत्यु।
धारा 280 परिवाद को वापस लेना।
धारा 281 कुछ मामलों में कार्यवाही रोक देने की शक्ति।
धारा 282 समन-मामलों को वारंट-मामलों में संपरिवर्तित करने की न्यायालय की शक्ति।

अध्याय 22 संक्षिप्त विचारण

धारा 283 संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति।
धारा 284 द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेटों द्वारा संक्षिप्त विचारण।
धारा 285 संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया।
धारा 286 संक्षिप्त विचारणों में अभिलेख।
धारा 287 संक्षेपतः विचारित मामलों में निर्णय।
धारा 288 अभिलेख और निर्णय की भाषा।

अध्याय 23
सौदा अभिवाक्

धारा 289 अध्याय का लागू होना।
धारा 290 सौदा अभिवाक् के लिए आवेदन।
धारा 291 पारस्परिक संतोषपद निपटारे के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत।
धारा 292 पारस्परिक संतोषपद निपटारे की रिपोर्ट का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना।
धारा 293 मामले का निपटारा।
धारा 294 न्यायालय का निर्णय।
धारा 295 निर्णय का अंतिम होना।
धारा 296 सौदा अभिवाक् में न्यायालय की शक्ति।
धारा 297 अभियुक्त द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि का कारावास के दंडादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाना।
धारा 298 व्यावृत्तियाँ।
धारा 299 अभियुक्त के कथनों का उपयोग न किया जाना।
धारा 300 अध्याय का लागू न होना।

अध्याय 24
कारागारों में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी

धारा 301 परिभाषाएं।
धारा 302 बंदियों को हाजिर कराने की अपेक्षा करने की शक्ति।
धारा 303 धारा 302 के प्रवर्तन से कतिपय व्यक्तियों को अपवर्जित करने की राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की शक्ति।
धारा 304 कारागार के भारसाधक अधिकारी का कतिपय आकस्मिकताओं में आदेश को कार्यान्वित न करना।
धारा 305 बंदी का न्यायालय में अभिरक्षा में लाया जाना।
धारा 306 कारागार में साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करने की शक्ति।

अध्याय 25
जांचों और विचारणों में साक्ष्य

क–साक्ष्य लेने और अभिलिखित करने का ढंग

धारा 307 न्यायालयों की भाषा।
धारा 308 साक्ष्य का अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाना।
धारा 309 समन-मामलों और जांचों में अभिलेख।
धारा 310 वारंट-मामलों में अभिलेख।
धारा 311 सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण में अभिलेख।
धारा 312 साक्ष्य के अभिलेख की भाषा।
धारा 313 जब ऐसा साक्ष्य पूरा हो जाता है तब उसके संबंध में प्रक्रिया।
धारा 314 अभियुक्त या उसके प्लीडर को साक्ष्य का भाषान्तर सुनाया जाना।
धारा 315 साक्षी की भावभंगी के बारे में टिप्पणियां।
धारा 316 अभियुक्त की परीक्षा का अभिलेख।
धारा 317 दुभाषिया ठीक-ठीक भाषांतर करने के लिए आबद्ध होगा।
धारा 318 उच्च न्यायालय में अभिलेख।

ख–साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन

धारा 319 कब साक्षियों को हाजिर होने से अभिमुक्ति दी जाए और कमीशन जारी किया जाएगा।
धारा 320 कमीशन किसको जारी किया जाएगा।
धारा 321 कमीशनों का निष्पादन।
धारा 322 पक्षकार साक्षियों की परीक्षा कर सकेंगे।
धारा 323 कमीशन का लौटाया जाना।
धारा 324 कार्यवाही का स्थगन।
धारा 325 विदेशी कमीशनों का निष्पादन।
धारा 326 चिकित्सीय साक्षी का अभिसाक्ष्य।
धारा 327 मजिस्ट्रेट की शिनाख्त रिपोर्ट।
धारा 328 टकसाल के अधिकारियों का साक्ष्य।
धारा 329 कतिपय सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट।
धारा 330 कुछ दस्तावेजों का औपचारिक सबूत आवश्यक न होना।
धारा 331 लोक सेवकों के आचरण के सबूत के बारे में शपथपत्र।
धारा 332 शपथपत्र पर औपचारिक साक्ष्य।
धारा 333 प्राधिकारी जिनके समक्ष शपथपत्रों पर शपथ ग्रहण किया जा सकेगा।
धारा 334 पूर्व दोषसिद्धि या दोषमुक्ति कैसे साबित की जाए।
धारा 335 अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य का अभिलेख।
धारा 336 कतिपय मामलों में लोकसवकों, विशेषज्ञों, पुलिस अधिकारियों का साक्ष्य।

अध्याय 26
जांचों तथा विचारणों के बारे में साधारण उपबंध

धारा 337 एक बार दोषसिद्ध या दोषमुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण न किया जाना।
धारा 338 लोक अभियोजकों द्वारा हाजिरी।
धारा 339 अभियोजन का संचालन करने की अनुज्ञा।
धारा 340 जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही संस्थित की गई है उसका प्रतिरक्षा कराने का अधिकार।
धारा 341 कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता।
धारा 342 प्रक्रिया, जब निगम या रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अभियुक्त है।
धारा 343 सह-अपराधी को क्षमा-दान।
धारा 344 क्षमा-दान का निदेश देने की शक्ति।
धारा 345 क्षमा की शर्तों का पालन न करने वाले व्यक्ति का विचारण।
धारा 346 कार्यवाही को मुल्तवी या स्थगित करने की शक्ति।
धारा 347 स्थानीय निरीक्षण।
धारा 348 आवश्क साक्षी को समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति।
धारा 349 नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख देने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति।
धारा 350 परिवादियों और साक्षियों के व्यय।
धारा 351 अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति।
धारा 352 मौखिक बहस और बहस का ज्ञापन।
धारा 353 अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना।
धारा 354 प्रकटन उत्प्रेरित करने के लिए किसी असर का काम में न लाया जाना।
धारा 355 कुछ मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में जांच और विचारण किए जाने के लिए उपबंध।

धारा 356 उद्घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में जांच, विचारण और निर्णय।
धारा 357 प्रक्रिया जहां अभियुक्त कार्यवाही नहीं समझता है।
धारा 358 अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्ति।
धारा 359 अपराधों का शमन।
धारा 360 अभियोजन वापस लेना।
धारा 361 जिन मामलों को निपटारा मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता, उनमें प्रक्रिया।
धारा 362 प्रक्रिया जब जांच या विचारण के प्रारंभ के पश्चात् मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि मामला सुपुर्द किया जाना चाहिए।
धारा 363 सिक्के, स्टाम्प विधि या सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों के लिए तत्पूर्व दोषसिद्ध व्यक्तियों का विचारण।
धारा 364 प्रक्रिया जब मजिस्ट्रेट पर्याप्त कठोर दंड का आदेश नहीं दे सकता।
धारा 365 भागतः एक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा और भागतः दूसरे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर दोषसिद्ध या सुपुर्दगी।
धारा 366 न्यायालयों का खुला होना।

अध्याय 27
मानसिक रुग्ण अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबंध

धारा 367 अभियुक्त के मानसिक रुग्ण होने की दशा में प्रक्रिया।
धारा 368 न्यायालय के समक्ष विचारित व्यक्ति के मानसिक रुग्ण होने की दशा में प्रक्रिया।
धारा 369 अन्वेषण या विचारण के लंबित रहने तक मानसिक रुग्ण व्यक्ति का छोड़ा जाना।
धारा 370 जांच या विचारण को पुनः चालू करना।
धारा 371 मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के हाजिर होने पर प्रक्रिया।
धारा 372 जब यह प्रतीत हो कि अभियुक्त स्वस्थचित रहा है।
धारा 373 मानसिक रुग्णता के आधार पर दोष-मुक्ति का निर्णय।
धारा 374 ऐसे आधार पर दोषमुक्त किए गए व्यक्ति का सुरक्षित अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाना।
धारा 375 भारसाधक अधिकारी को कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सशक्त करने की राज्य सरकार की शक्ति।
धारा 376 जहां यह रिपोर्ट की जाती है कि मानसिक रुग्ण बंदी अपनी प्रतिरक्षा करने मे समर्थ है वह प्रक्रिया।
धारा 377 जहां निरुद्ध मानसिक रुग्ण व्यक्ति छोड़े जाने के योग्य घोषित कर दिया जाता है वहां प्रक्रिया।
धारा 378 नातेदार या मित्र की देख-रेख के लिए मानसिक रुग्ण व्यक्ति का सौंपा जाना।

अध्याय 28
न्याय-प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में उपबंध

धारा 379 धारा 215 में वर्णित मामलों में प्रक्रिया।
धारा 380 अपील।
धारा 381 खर्चे का आदेश देने की शक्ति।
धारा 382 जहां मजिस्ट्रेट संज्ञान करे वहां प्रक्रिया।
धारा 383 मिथ्या साक्ष्य देने पर विचारण के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया।
धारा 384 अवमान के कुछ मामलों में प्रक्रिया।
धारा 385 जहां न्यायालय का विचार है कि मामले में धारा 384 के अधीन कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए वहां प्रक्रिया।
धारा 386 रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार कब सिविल न्यायालय समझा जाएगा।
धारा 387 माफी मांगने पर अपराधी का उन्मोचन।
धारा 388 उत्तर देने या दस्तावेज पेश करने से इंकार करने वाले व्यक्ति को कारावास या उसकी सुपुर्दगी।
धारा 389 समन के पालन में साक्षी के हाजिर न होने पर उसे दंडित करने के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया।
धारा 390 धारा 383, 384, 388 और 389 के अधीन दोषसिद्धियों से अपीलें।
धारा 391 कुछ न्यायालधीशों और मजिस्ट्रेटों के समक्ष किए गए अपराधों का उनके द्वारा विचारण न किया जाना।

अध्याय 29
निर्णय

धारा 392 निर्णय।
धारा 393 निर्णय की भाषा और अन्तर्वस्तु।
धारा 394 पूर्वतन सिद्धदोष अपराधी को अपने पते की सूचना देने का आदेश।
धारा 395 प्रतिकर देने का आदेश।
धारा 396 पीड़ित प्रतिकर स्कीम।
धारा 397 पीड़ितो का उपचार।
धारा 398 साक्षी संरक्षण स्कीम।
धारा 399 निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्तियों को प्रतिकर।
धारा 400 असंज्ञेय मामलों में खर्चा देने के लिए आदेश।
धारा 401 सदाचरण की परिवीक्षा पर या भर्त्सना के पश्चात् छोड़ देने का आदेश।
धारा 402 कुछ मामलों में विशेष कारणों का अभिलिखित किया जाना।
धारा 403 न्यायालय का अपने निर्णय में परिवर्तन न करना।
धारा 404 अभियुक्त और अन्य व्यक्तियों को निर्णय की प्रति का दिया जाना।
धारा 405 निर्णय का अनुवाद कब किया जाएगा।
धारा 406 सेशन न्यायालय द्वारा निष्कर्ष और दंडादेश की प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजना।

अध्याय 30
मृत्यु दंडादेशों का पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना

धारा 407 सेशन न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश का पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना।
धारा 408 अतिरिक्त जांच किए जाने के लिए या अतिरिक्त साक्ष्य लिए जाने के लिए निदेश देने की शक्ति।
धारा 409 दंडादेश को पुष्ट करने या दोषसिद्धि को बातिल करने की उच्च न्यायालय की शक्ति।
धारा 410 नए दंडादेश की पुष्टि का दो न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना।
धारा 411 मतभेद की दशा में प्रक्रिया।
धारा 412 उच्च न्यायालय की पुष्टि के लिए प्रस्तुत मामलों में प्रक्रिया।